उत्तराखण्ड़ संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार।

मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन के क्रम में शिक्षक एवं कर्मचारी कल्याण कोष संबंधी नियमावली निर्माण की बैठक प्रो0 दिनेश चंद्र चमोला, निदेशक (आई.क्यू.ए.सी) की अध्यक्षता में आज दिनांक 05.03.2021 को विश्वविद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्यों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1.प्रो0 दिनेश चन्द्र भट्ट, कुलसचिव, गुरूकुल कांगड़ी वि0वि0 हरिद्वार। **सदस्य**

2.प्रो0 राधेश्याम चतुर्वेदी, देव संस्कृति वि0वि0 हरिद्वार। **सदस्य**

3.डॉ0 हरीश चन्द्र तिवाड़ी, विभागाध्यक्ष साहित्य विभाग, उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार। **सदस्य**

4.श्री दिनेश कुमार, उपकुलसचिव (परीक्षा), उ0सं0वि0वि0 हरिद्वार। **संयोजक**

बैठक की कार्यवाही:–

उपर्युक्त समिति द्वारा शिक्षक एवं कर्मचारी कल्याण कोष के संबंध में नियमावली बनाने हेतु निम्नवत चर्चा की गई:–

नियमावली

1– संक्षिप्त नाम एवं प्रसार – (1)यह नियमावली **"शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष"** नियमावली 2021 कही जाएगी। यह विश्वविद्यालय के समस्त पूर्णकालिक शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू होगी।

(2) यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषायें – 'बीमारियों के इलाज में शल्यकिया, जो किसी अस्पताल अथवा किसी नर्सिंग होम में कराई जाती है। सम्मिलित होगें। ये शब्द नीचे परिभाषित किये जा रहें हैं –

(1) "अस्पताल/नर्सिंग होम" का तात्पर्य – भारत में कोई भी संस्था जो घरेलू चिकित्सा और बीमारी एवं चोट के उपचार के लिए स्थापित की गई हो तथा स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा संस्तुत उपयुक्त संस्थान हो।

(2) "शल्यकिया" से तात्पर्य है – अशक्तता तथा शारीरिक/मानसिक रूग्णता को ठीक करने के लिए हाथ से की गई तथा व्यावहारिक प्रकियायें, जख्मी का इलाज, बीमारियों के निदान तथा उपचार पीड़ा से राहत तथा जीवन का प्रवर्द्धन।

(3) "शिक्षक" का तात्पर्य है – विश्वविद्यालय के नियमित एवं पूर्णकालिक सेवारत शिक्षक जिनका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा हो।

(4) "शिक्षणेत्तर कर्मचारी" से तात्पर्य –विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक एवं नियमित शिक्षेणत्तर कर्मचारी जिनका वेतन विश्वविद्यालय भुगतान करता है। इनमें राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–9 में निर्दिष्ट अधिकारी भी सम्मिलित माने जाएगें। उपनल पर नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा विश्वविद्यालय में पूर्ण कर ली गई हो, उन्हें भी सम्मिलित माना जाएगा।

(5) "समिति" का तात्पर्य – कल्याण कोष के संचालन हेतु संचालन मंडल से है।

क्रमशः.....02

CamScanner

3– समिति – शिक्षक–कर्मचारी कल्याण कोष के सफलतापूर्वक संचालन हेतु एक संचालन मंडल का गठन निम्न प्रकार होगा –

1– मा0 कुलपति	पदेन अध्यक्ष
2– मुख्य वित्त अधिकारी	सदस्य
3– वरिष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम पर एक संकायाध्यक्ष	सदस्य
4– अध्यक्ष, शिक्षक संघ	सदस्य
5– अध्यक्ष, शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ	सदस्य
6– कुलसचिव	सचिव

समिति की बैठक वर्ष में दो बार **सितंबर** और **मार्च** में आयोजित की जाएगी। समिति इस सन्दर्भ में प्राप्त आवेदनों पर गुण एवं दोष के आधार पर विचार करेगी। बैठक बुलाने का दायित्व कुलसचिव का होगा। कोरम कुल सदस्य संख्या का 2/3 होगा। आकस्मिकताएं आने पर आपात बैठक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/2 होगा।

4–कोष का सृजन– प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, उनके बिल से 5 प्रतिशत की समान दर से कटौती करने के उपरान्त यह धनराशि आहरित करके "शिक्षक–कर्मचारी कल्याण कोष" में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऐसे शिक्षक जो विश्वविद्यालय में परीक्षा, संगोष्ठी इत्यादि के लिए आमंत्रित किये जाते है, उनके मानदेय से भी 5 प्रतिशत की दर से कटौती करके इस कोष में जमा किया जायेगा, किन्तु सहायता केवल विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता बाह्य शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं होगी।

5– पात्रता की शर्तें– इस कोष का वरीयता क्रम में मुख्यतया विश्वविद्यालय के ऐसे अधिकारियों, शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ही सहायता के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता हो। सम्बधित अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी के आश्रित को कोष में धन उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता के आधार पर सहायता दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। आश्रितों की श्रेणी में निम्नलिखित होगें–

(1) अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी (पति–पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, जबकि दूसरा साथी नौकरी में न हो)

(2) आश्रित बेरोजगार पुत्र।

(3) आश्रित अविवाहित पुत्री।

(4) आश्रित माता–पिता, यदि सेवारत न हों या पेंशन प्राप्त न करते हों। (पेंशन प्राप्त न करने का घोषणापत्र सम्बन्धित अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी को देना होगा।)

6– कोष का उपयोग– इस कोष से केवल सहायता देय होगी। **ऋण किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।** इस कोष का निम्नानुसार उपयोग किया जाएगा।

क्रमशः..... ..03

(1) चिकित्सकीय सहायता– विभिन्न बीमारियों के इलाज पर, जिनका व्यय विश्वविद्यालय कल्याण निधि एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गए अनुदान से क्षतिपूर्ति (re-imbursement) करके सम्भव नहीं है, उन मामलों पर आर्थिक सहायता मूल वाउचर प्रस्तुत किये जाने पर ही स्वयं के इलाज एवं आश्रित परिवार के सदस्यों के इलाज पर अनुमन्य होगी। समस्त सदस्यों के इलाज पर हुए व्यय की यह चिकित्सकीय सहायता एक वित्तीय वर्ष में एक बार अधिकतम **5,000/– रूपये** तक ही सीमित रहेगी।

(2) मृत्यु की दशा में सहायता– इस नियमावली से शासित होने वाले अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी की असमायिक मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को अधिकतम **10,000/– रुपये** की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

(3) दुर्घटना की दशा में सहायता– इस नियमावली से शासित व्यक्तियों की, सेवाकाल में दुर्घटनाग्रस्त होने पर उन्हें तत्काल अधिकतम **5,000/–रुपये** की सहायता प्रदान की जायेगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार के वाउचर्स की मांग नहीं की जायेगी।

(4) प्रोत्साहन योजना– इस नियमावली से शासित ऐसे शिक्षक एवं कर्मचारी जिनके पुत्र/पुत्रियॉ इंजीनियरिंग एवं मेडिकल संस्थाओं में अध्ययनरत हों, इसका प्रमाण प्रस्तुत किये जाने की दशा में उन्हें अधिकतम **5,000/– रुपये** तक की आर्थिक सहायता केवल एक बार प्रदान की जाएगी। कोष में धन उपलब्ध होने की दशा में ही इस बिन्दु पर विचार किया जाएगा।

(5)आय का समानुपातिक विभाजन– कोष में उपलब्ध धनराशि का समानुपातिक विभाजन शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीयों के मध्य 50 और 50 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा, परन्तु ऐसे समानुपातिक विभाजन से पूर्व कुल संचित धनराशि का 10 प्रतिशत आपात स्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

7– सहायता स्वीकृत करने का अधिकार– इस कोष से प्रत्येक प्रकार की सहायता समिति के द्वारा ही स्वीकृत की जायेगी, लेकिन अति विशेष/आपात स्थितियों में यह सहायता मा0 कुलपति महोदय के द्वारा भी स्वीकृत की जा सकती है। चिकित्सकीय सहायता आवेदन की वरीयता एवं रोग की गंभीरता के आधार पर ही की जायेगी।

8– खाते का संचालन एवं लेखा परीक्षा – खाते का संचालन विश्वविद्यालय के मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा उसका सम्पूर्ण लेखा–जोखा उनके अनुभाग से अनुरक्षित किया जायेगा और लेखा की प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से सम्परीक्षा करवायी जाएगी तथा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट समिति की समय–समय पर होने वाली बैठक में वर्ष में एक बार रखी जायेगी। लेखा का रख–रखाव करने तथा प्रशासन विभाग से इस पटल पर कार्य करने वाले सम्बन्धित कर्मचारियों को क्रमशः रू0 1,000.00 प्रत्येक को वार्षिक पारिश्रमिक देय होगा।

(दिनेश कुमार)
सदस्य

(डॉ. हरीश चन्द्र तिवाड़ी)
सदस्य

(प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी)
सदस्य

(प्रो. दिनेश चन्द्र भट्ट)
सदस्य

(प्रो. दिनेश चंद्र चमोला)
अध्यक्ष

CamScanner